

संख्या शिक्षा -यू (ई-3)/ सामान्य निर्देश /2019/- 14975-977

कार्यालय उप निदेशक उच्च शिक्षा (हि.प्र.)

ऊना जिला ऊना (हि.प्र.) 01975223850 ,email ddhe-una-hp@gov.in

30.11.2019

प्रेषित ,

समस्त प्रधानाचार्य/मुख्याध्यापक,  
रा.व.मा.पा./रा.उ.पा./प्राइवेट स्कूल ऊना,  
जिला ऊना (हि.प्र.)

विषय -  
जापन,

स्कूल प्रबंधन को सामान्य निर्देश ।

गत दिनों जिले के एक प्राइवेट स्कूल में अधोहस्ताक्षरी एवं निरीक्षक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले अम्ब जिला ऊना, शिक्षा विभाग एवं पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया और निरीक्षण के दौरान स्कूल के कैंपस में एक गाडी पायी गयी जिसमे 18 गैस के सिलेंडर पाए गये । और स्कूल के कमरे खुलवाने पर एक कमरे से 7 भरे हुए और 19 खाली गैस के सिलेंडर पाए गये और इन्हें ज्व्त कर लिया गया है । स्कूल प्रबंधन इसके लिए संतोषजनक जवाब देने में असमर्थ रहा है ।

अतः जिले के सभी रा.व.मा./रा.उ./ प्राइवेट स्कूलों के प्रधानाचार्यों एवं मुख्याध्यापकों को निर्देश दिए जाते हैं कि इस प्रकार की कोई भी अबैध सामग्री न रखी जाए जिससे विद्यार्थियों , अध्यापकों व अन्य कर्मचारियों की सुरक्षा खतरे में हो । अन्यथा स्कूल प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्यवाही अम्ल में लाई जायेगी ।



उप निदेशक उच्च शिक्षा (हि.प्र.)

ऊना जिला ऊना (हि.प्र.)

प्रतिलिपि -

1. शिक्षा निदेशक उच्चतर शिमला (हि.प्र.) सूचनार्थ हेतु प्रेषित है ।
2. निरीक्षक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले अम्ब जिला ऊना सूचनार्थ हेतु प्रेषित है ।



उप निदेशक उच्च शिक्षा (हि.प्र.)

ऊना जिला ऊना (हि.प्र.)